20 बहादुर बच्चों को मिले बाल पुरस्कार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने असाधारण उपलब्धियों के लिए किया सम्मानित

नई दिल्ली, 26 दिसंबर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न क्षेत्रों में 18 राज्यों के 20 साहसी बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है.

राष्ट्रपति मुर्मु ने शुक्रवार को यहां विज्ञान भवन में एक समारोह में इन बच्चों के उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये. राष्ट्रपति ने पुरस्कार पाने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि पुरस्कार विजेता बच्चों ने अपने परिवारों, अपने समुदायों और पूरे देश को गौरवान्वित किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मान पाने वाले इन बच्चों से देश के अन्य सभी बच्चे प्रेरित होंगे. राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 320 वर्ष पूर्व,

सिख पंथ के दसवें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोबिन्द सिंह जी और उनके चारों बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिया था. इस दिन हम सब उनके दो सबसे छोटे साहिबज़ादों का स्मरण करते हैं जिनकी वीरता का सम्मान देश-विदेश में किया जाता है.

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिये हैं. वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवोचार, विज्ञान तथा तकनीकी, समाज-सेवा और खेल-कूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल-प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ है. उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पुरस्कार पाने वाले बच्चों ने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. उनका कहना था कि सात वर्षीय वाका लक्ष्मी प्रग्निका जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के कारण ही भारत विश्व पटल पर शतरंज की महाशक्ति माना जाता है. अजय राज और मोहम्मद सिदान पी. ने अपनी वीरता और सूझबूझ से दूसरों की जान बचाकर अत्यंत प्रशंसनीय काम किया है. इसी तरह से नौ वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया और ग्यारह वर्षीय बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने साहस से दूसरों की जान बचाते हुए अपने प्राण गंवा दिए. राष्ट्रपति ने कहा कि यह गौरव की बात है कि दस वर्षीय श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बावजूद अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को नियमित रूप से पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई. वहीं, दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरू उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं.

सुपरपावर नहीं, विश्वगुरू बने भारत : भागवत

तिरुपति से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश

तिरुपति, 26 दिसंबर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है और देश का आगे बढ़ना तय है.

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का लक्ष्य केवल एक सुपरपावर बनना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला 'विश्वगुरु' बनना होना चाहिए. मोहन भागवत ने विज्ञान और धर्म के संबंधों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि दोनों के बीच कोई वास्तविक टकराव नहीं है. उन्होंने कहा कि विज्ञान और धर्म अलग-अलग मार्गों से चलते हुए

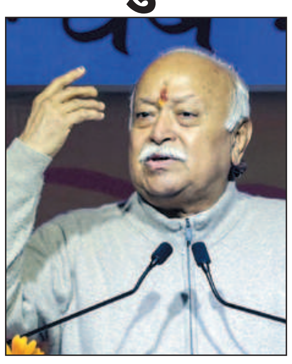

भी एक ही सत्य की खोज करते हैं और उनकी मंज़िल एक ही है. आरएसएस प्रमुख ने स्पष्ट किया कि भारत की विकास अवधारणा का मूल आधार धर्म है, लेकिन धर्म का अर्थ केवल पूजा-पद्धति या मजहब नहीं, बल्कि वह सिद्धांत है जिससे प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है. उन्होंने समाज से पुराने और नए, दोनों तरह के अंधविश्वासों से मुक्त होने का आह्वान किया.

भागवत ने उदाहरण देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कई प्राचीन मंदिर अपनी वैज्ञानिक और मजबूत संरचना के कारण सुरक्षित रहते हैं, जो भारत के पारंपरिक ज्ञान की शक्ति को दर्शाता है. कृषि और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हजारों वर्षों तक पारंपरिक खेती से भूमि सुरक्षित रही, लेकिन आधुनिक दौर में रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर दी हैं. उन्होंने पंजाब से जयपुर तक चलने वाली तथाकथित कैंसर ट्रेन का उल्लेख करते हुए इसे चिंताजनक बताया. इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे.

आज का इतिहास

1797 उर्दू-फारसी के प्रख्यात कवि मिर्जा ग़ालिब का जन्म हुआ.

1861 कलकत्ता (अब कोलकाता) में पहली बार चाय की सार्वजनिक बोली संपन्न हुई.

1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार 'जन गण मन' गाया गया.

1934 पर्सिया के शाह ने पर्सिया का नाम बदलकर ईरान करने की घोषणा की.

1937 भारत के राजनेता तथा हिन्दी साहित्यकार शंकर दयाल सिंह का जन्म हुआ.

1939 तुर्की में आये भूकंप से लगभग चालीस हजार लोगों की मौत हुई थी.

1942 -परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म.

1945 -वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना.

स्वदेशी हथियार प्रणाली पर सरकार का फोकस

▸ भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को बड़ी मजबूती

नई दिल्ली, 26 दिसंबर. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च खरीद संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में कई अहम स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की संभावना है.

इस बैठक का मुख्य फोकस भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना रहा. सूत्रों के

अनुसार, डीएसी की बैठक में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को हवाई खतरों से सुरक्षित रखने के लिए स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, सेना की ड्रोन क्षमताओं में इजाफा, नौसेना के युद्धपोतों की सुरक्षा और वायुसेना के लिए आधुनिक मिसाइल प्रणालियों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. सरकार का जोर रक्षा तैयारियों को मजबूत करने पर है.

लोइटरिंग मुनिशन्स, पिनाका रॉकेट, एस्ट्रा मार्क-2 मिसाइल और टी-90 टैंकों के नवीनीकरण जैसे प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है. इन फैसलों से भारत की रक्षा क्षमता को नई मजबूती मिलने के साथ-साथ घरेलू रक्षा उद्योग को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कई रणनीतिक और स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी देने पर चर्चा हुई.

सोनिया-राहुल ने डॉ. मनमोहन को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 26 दिसंबर. सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

उन्होंने कहा कि मनमोहन ने देश के आर्थिक विकास को जो दिशा दी वह भारत की समृद्धि का मजबूत आधार बन गया है. मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर डॉ सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर, हम भारत के राष्ट्र निर्माण में उनके अपार योगदान को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं. एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में, उन्होंने देश के आर्थिक पथ को नया रूप दिया और आर्थिक सुधारों के माध्यम से लाखों लोगों के लिए अवसरों का विस्तार किया तथा लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला. अपनी विनम्रता, सत्यनिष्ठा और बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात डॉ सिंह ने गरिमा और करुणा के साथ देश का नेतृत्व किया.

पाठक ने पीएम को दिया नेशनल बॉलीबॉल चैंपियनशिप का निमंत्रण

लखनऊ/दिल्ली, 26 दिसंबर. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्ह चार से 11 जनवरी तक वाराणसी में आयोजित होने वाली नेशनल बॉलीबॉल चैंपियनशिप में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

अरविंद केजरीवाल ने अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई

▸ उर्स पर केजरीवाल ने मांगी अमनचैन की दुआ

नई दिल्ली, 26 दिसंबर. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 814वें सालाना उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में पवित्र चादर पेश की. इस दौरान उन्होंने देश की तरक्की, अमन-चैन और आपसी भाईचारे के लिए दुआ मांगी. केजरीवाल ने सूफी परंपरा की उस साझा संस्कृति को नमन किया, जो इंसानियत, मोहब्बत और एकता का संदेश देती है. उनके इस दौरे को सामाजिक सौहार्द और धार्मिक एकता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है. अजमेर. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय

संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें सालाना उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह में पवित्र चादर चढ़ाई.

इस पावन अवसर पर उन्होंने दरगाह में हाजिरी लगाकर देश की तरक्की, अमन-चैन और आपसी भाईचारे के लिए विशेष प्रार्थना की. दरगाह परिसर में चादर पेश करने के दौरान केजरीवाल ने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शिक्षाओं को याद किया और कहा कि उनकी दरगाह सदियों से प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश देती आ रही है. उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर हर मजहब और हर वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के आते हैं, जो भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब का सबसे बड़ा उदाहरण है. उर्स के मौके पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में जायरीन अजमेर शरीफ पहुंचे हैं. केजरीवाल का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब देश में सामाजिक सौहार्द और आपसी समझ को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है. उन्होंने दरगाह में मथा टेककर यह कामना की कि भारत आगे बढ़े, लोगों के बीच भाईचारा बना रहे.

न्यायालय नायब तहसीलदार, टप्पा मण्डलेश्वर, तह. महेश्वर जिला खरगोन

क्रमांक / 978 / री-1 / 2025
मण्डलेश्वर, दिनांक 26/12/2025

-:: जाहिर सूचना ::-

बनामः- 1- नन्दु पिता चतरूलाल जाति तेली निवासी धार 2 - विशाल पिता रमेश जाति तेली निवासी धार 3- अमन पिता रमेश जाति तेली निवासी धार 4 - किरणबाई पति रमेश जाति तेली निवासी धार

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम / कस्बा मर्दानिया पटवारी हल्का नंबर 26 के वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 67 / 1 शा.न. 68/2 रकबा 1.489 हेक्ट. के पैकी भाग 167/14890 अर्थात 1800 वर्गफिट की भूमि शामिल में चतरूलाल पिता रामाजी राठौड़ जाति तैली निवासी धार के नाम से दर्ज है। आवेदक अजय एवं विनय पिता अर्जुन राठौड़ जाति तेली निवासी सुभाष मार्ग, धार द्वारा वसीयत आधारे नामान्तरण किये जाने हेतू आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इनका आवेदन वर्तमान में नामान्तरण हेतू विचाराधीन है। आपको जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदकगण का नामान्तरण किये आने हेतू आपको कोई आपत्ति जबाब या पक्ष रखा जाना हो तो जाहिर सूचना प्रकाश दिनांक के सात दिवस के अन्दर इस न्यायालय में आप या आपने अभिभाषक के माध्यम से नियत दिनांक को इस न्यायालय में न्यायालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। तथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही की जावेगी।

नायब तहसीलदार
टप्पा मण्डलेश्वर (म.प्र.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform all customers that the Appellate Authority of Hathway Cable and Datacom Limited (Internet Services) has been changed, effective January 04, 2026.

New Appellate Authority
Name: Mr. Abishak Murugesan Indirani
Working Days: Monday to Friday
(9.30 a.m. to 5.30 p.m.)
Contact Numbers: 080 6515 9525 / 080 4447 9525
Email: appellate@hathway.net

IMPORTANT NOTE
An appeal before the Appellate Authority may be submitted only if the customer is not satisfied with the grievance redressal provided by Customer Care at the first level. Customers must quote the complaint docket number while submitting the appeal.

CUSTOMER CARE DETAILS
24x7 Customer Care Numbers:
080 6515 9555 / 080 4447 9555
1800 419 3114 (Toll Free)
Email: helpdesk@hathway.net
For web-based complaints, please visit: https://ispselfcare.hathway.net/login

hathway Premium Broadband

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	130097991	होम लोन	17.12.2025	6,30,758.15/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1.सोहन मांगीलाल 2.सोनी सोहन

संपत्ति का पताः मकान संख्या 178 का वह पूरा भूखंड, जिसकी माप पूर्व-पश्चिम दोनों ओरः 40 फीट, उत्तर-दक्षिण दोनों ओरः 36 फीट है, कुल क्षेत्रफल 1440 वर्ग फीट या 133.78 वर्ग मीटर है। यह भूखंड आबादी सर्वेक्षण संख्या 484, पीएच नं. 51, वार्ड नंबर पर स्थित है। 15, ग्रामः गुनावाद, ग्राम पंचायतः गुनावाद, तहसील एवं जिलाः धार, मध्य प्रदेश-454001, और सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सार्वजनिक सड़क, पश्चिमः भेरू सिंह का भूखंड, उत्तरः भेरू सिंह का घर, दक्षिणः मान सिंह का घर

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 27.12.2025
स्थानः धार
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

मध्य प्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर

विज्ञप्ति क्रमांक/3030/08/2025 / कम्प्यूटर दिनांकः 24/12/2025

:: विज्ञप्ति ::

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय में 03 नग Camera के क्रय हेतु GeM पर Bid की गई है। GeM का Bid no. GEM / 2025 / 8/7041933, Date 24-12-2025 को अपलोड की गई है। Bid की अंतिम तिथि दिनांक 07-01-2026 है।

G23396/25 कम्प्यूटर भण्डार प्रभारी

कार्यालय कलेक्टर जिला देवास (म.प्र.)

क्रमांक / 611 /लेखा / 2025 दिनांक 24/12/2015

:: निविदा::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर कार्यालय जिला देवास में माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, व्हीआईपीगण के प्रोटोकॉल हेतु अवधि 01/01/2026 से 31/12/2026 हेतु टैक्सी कोटे में वाहन समय-समय पर आवश्यकतानुसार किराये पर लिये जाने है, इस हेतु विस्तृत निविदा शर्तों के साथ निविदायें पंजीकृत फर्मो/संस्थाओं / व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 14/01/26 समय 15 PM बजे तक कार्यालय कलेक्टर जिला देवास में आनलाईन ई-निविदा आर्मत्रित की जाती है। निविदाएं दो बोली प्रणाली (Two Bid System) के आधार पर खोली जावेंगी। विस्तृत निविदा जिसका मूल्य राशि 1000/- (एक हजार मात्र) है। वेबसाईट www.mp.etenders.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा क्रय मूल्य 1000/- तथा अमानत राशि 25000/- आनलाईन निविदा दस्तावेज के साथ जमा होगी। उक्त प्राप्त निविदाएं दिनांक 15/01/26 को समय 15 PM बजे कलेक्टर कार्यालय देवास में खोली जावेगी।

अपर कलेक्टर
G23405/25 जिला देवास (म. प्र.)

GABANI BROTHERS LIMITED

New Jai Balaji Beej Bhandar
14, COC Compound, RTO Road, Palda Naka, Indore-452020

In pursuance to the Order No. 2900(E) Dated 24th October, 2015 issued by Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture Govt. of India, **GABANI BROTHERS LIMITED Surat** notifies that it intends to introduce 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer like-

(1) N.P.K. (10:00:40) (2) N.P.K. (18:46:00) (3) N.P.K. (19:19:19) (4) N.P.K. (10:26:26) (5) N.P.K. (24:24:00)

We will comply with terms and condition as per the above notification of Govt. of India.

Mobile : 93993 72466

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोनः 0141- 4750000

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

मैसर्स वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के तहत ऋणियों से देय राशि की वसूली के लिए, अधिकारियों द्वारा उल्लिखित सुरक्षित सम्पत्ति का अधिकार लेने के अनुसरण में अचल संपत्ति खरीदने के लिए मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णित है, जैसा है जहां है आधार पर, ''जैसा है जो है आधार पर'' और ''जो कुछ है आधार पर नीलामी की जाएगी जो कि भौतिक कब्जे में है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

खाता संख्या/ ऋणी, सहऋणी / गारंटर	मांग सूचना की दिनांक एवं राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूलय	बयाना धन जमा	दिनांक व कुल बकाया राशि	नीलामी का स्थान
(ऋण खाता संख्या) LN20042HE21-22006449 श्रीमती किरण दवे पत्नी श्री देवी लाल दवे (ऋणी एवं बंधककर्ता), श्री देवि लाल दवे पुत्र राधेश्याम दवे (सहऋणी), श्री भीम सिंह प्रजापति (गारंटर)	18.04.2025 Rs. 23,35,658.87 तेइस लाख पैंतीस हजार छः सौ अट्ठावन रूपये एवं सतासी पैसे मात्र 11.04.2025 तक भौतिक कब्जा 22.12.2025	श्रीमती किरण दवे पत्नी श्री देवी लाल दवे एवं श्री देवी लाल दवे पुत्र श्री राधेयाम दवे की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 16, एलएसएन 1003/1/2 पेकी, ग्राम भरभडिया, तहसील एवं जिला नीमच, मप्र 458441 क्षेत्रफल 16146 वर्गफीट	Rs. 92,44,260/- बानवे लाख चवालीस हजार दो सौ साठ रुपये मात्र	Rs. 9,24,426/- नौ लाख चौबीस हजार चार सौ छब्बीस रुपये मात्र	Rs. 26,47,942.03 दिनांक 23.12.2025 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017
(ऋण खाता संख्या) LN20062HP23-24015906 श्री विरेन्द्र जैन पुत्र श्री शान्ती लाल जैन (ऋणी एवं बंधककर्ता) श्रीमती रीना जैन पत्नी विरेन्द्र जैन (सहऋणी), श्री महिम जैन पुत्र नरेन्द्र जैन (गारंटर)	18.07.2025 Rs. 18,54,043.57 अठारह लाख चौवन हजार तेतालीस रूपये एवं सत्तावन पैसे मात्र 10.07.2025 तक भौतिक कब्जा 22.12.2025	श्री विरेन्द्र जैन पुत्र श्री शान्ती लाल जैन की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. ई-126, पण्डित दीनदयाल नगर रतलाम, 457001 मप्र, क्षेत्रफल 438 वर्गफीट	Rs. 18,61,500/- अठारह लाख इकसठ हजार पांच सौ रुपये मात्र	Rs. 1,86,150/- एक लाख छियासी हजार एक सौ पचास रुपये मात्र	Rs. 19,87,881.93 दिनांक 23.12.2025 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017

नीलामी दिनांक 27.01.2026, बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक 24.01.2026, सायं 5:00 बजे तक, निरीक्षण की दिनांक एवं समय 22.01.2026 (कार्यालय समय में)

निविदा की शर्ते :-

(1) निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा कम्पनी में उपलब्ध उपरोक्त संपत्ति के निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किए जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि जो की आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत हो, बैंकर्स चैक/मॉग ड्राफ्ट जो कि वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाएंवंडर होम फाइनेंस लिमिटेड पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात् निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। (2) सफल निविदाकर्ता को सफल बोली की 10 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। (3) सफल निविदाकर्ता को शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर प्रतिभूत लेनदार को जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना जब्त समझी जायेगी। (4) सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, 9828999412 पर किसी भी कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं या कार्यालय समय के दौरान उपरोक्त शाखा कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

नोट:-यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 8 (6) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र भी माना जायेगा।

दिनांकः 26-12-2025 स्थानः जयपुर, राज. प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

परिशिष्ट IV (नियम 8(1)) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई 400098

जबकि यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे यथा उल्लखित मांग सूचना जारी की थी जिमसें कर्जदार(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के अंदर भुगतान करने के लिए कहा। इसके बाद, असाईनर संदर्भित ने अधोलिखित वित्तीय परिसंपत्तियाँ **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को स्वयं/अपनी **उल्लेखित विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टी** की क्षमता से कार्यरत (यहाँ आगे **"ईएआरसी"** कहा गया है) असाइनमेंट एग्रीमेंट के अनुसार सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत एसाइन कर दीं। ईएआरसी असाईनर की भूमिका में आ गया और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में विचाराधीन प्रतिभूति हितों, गारंटी, रेहनों सहित असाईनर के सभी अधिकार, हक और हित कर्जदार द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में **ईएआरसी** को निहित हो गए हैं और **ईएआरसी** प्रत्याभूत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकार प्रयोग करता है। कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** प्रत्येक संपत्ति के समक्ष उल्लेखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्वजन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

समनुदेशक का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नंबर	उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की राशि एवं सूचना दिनांक	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	EARC TRUST SC-379	9001060100183996	1. रमेश शर्मा (ऋणी) 2. शांति शर्मा (सह-ऋणी) 3. सुरेश चन्द्र शर्मा (जमानतदार)	रु. 14,67,010.04 (रुपये चौदह लाख सडसठ हजार दस एवं चार पैसे मात्र) एवं 25/03/2023	23-12-2025	भौतिक आधिपत्य
अचल संपत्ति का विवरणः- उक्त संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, मकान नंबर 95, वार्ड नंबर 6, खसरा नंबर 306, ग्राम उन्तवास, पटवारी हल्का नंबर 13, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 3850 वर्ग फीट **सम्पत्ति मालिक** - रमेश शर्मा एवं **चर्तुसीमाएँः-** पूर्व - खुली भूमि, पश्चिम - सड़क, उत्तर - श्री भवानी शंकर का मकान, दक्षिण - सड़क						
पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	EARC TRUST SC-484	HM/0415/H/17/100103	1. श्री घनश्याम सिंह (ऋणी) 2. श्री नरेन्द्र सिंह राठौर (सह-ऋणी) 3. श्रीमती तनुजा सोलंकी (सह-ऋणी)	रु. 10,76,500.64 (रुपये दस लाख छियोत्तर हजार पाँच सौ एवं चौसठ पैसे मात्र) एवं 11/10/2024	23-12-2025	भौतिक आधिपत्य
अचल संपत्ति का विवरणः- उक्त संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, ग्राम पंचायत नौगनवा स्थित सर्वे नंबर 138, मकान नंबर 113, पटवारी हल्का नंबर 14, वार्ड नंबर 1 ग्राम नौगनवा, बड़नगर जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश (456776) एवं **चर्तुसीमाएँ इस प्रकारः-** पूर्व - जसवंत सिंह का मकान, पश्चिम - रघुराज सिंह का मकान, उत्तर - आम रास्ता, दक्षिण - आम रास्ता **कुल क्षेत्रफल** 2080 वर्ग फीट						

प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मुम्बई, दिनांक : 25-12-2025 एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

परिशिष्ट IV (नियम 8(1)) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई 400098

जबकि यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक **25.08.2021** को मांग सूचना जारी की थी जिमसें **मेसर्स आशीर्वाद प्लायवुट (ऋणी), श्री दिलीप कुमार (सह-ऋणी/बंधककर्ता) एवं श्रीमती प्रिती दिलीपकुमार मंगलानी (सह-ऋणी)** से सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 78,78,129.72 (रुपये अठहत्तर लाख अठहत्तर हजार एक सौ उनतीस एवं बहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 28.07.2021 तक एवं दिनांक 29.07.2021** से आगे का ब्याज प्लस लागत, प्रभार एवं खर्चे इत्यादि बकाया है, जिसे उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा।

ऋणीयों द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा ऋणीयों और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक **24 दिसंबर, 2025** को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार(रों) और सामान्य रूप में सर्वजन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन **रु. 78,78,129.72 (रुपये अठहत्तर लाख अठहत्तर हजार एक सौ उनतीस एवं बहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 28.07.2021 तक एवं दिनांक 29.07.2021** से आगे का ब्याज प्लस लागत, प्रभार एवं खर्चे इत्यादि के लिए एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणीयों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

ए. यूनिट नंबर एलजी-7, लोअर ग्रांउड फ्लोर, सुपर बिल्ट अप एरिया 484 वर्गफीट हाईवे टावर, सर्वे नंबर 46/1/1 एवं 46/1/2 वाली परिवर्तित भूमि का हिस्सा, ग्राम चितावद इंदौर 452001, पूर्व की ओर : बिल्डिंग की खुली जगह, पश्चिम की ओर: बिल्डिंग की खुली जगह फिर सड़क, उत्तर की ओर: यूनिट नंबर एलजी-6, दक्षिण की ओर: यूनिट नंबर एलजी-8

बी. यूनिट नंबर एलजी-8, लोअर ग्राउंड फ्लोर, सुपर बिल्ट अप एरिया 484 वर्गफीट हाईवे टावर, सर्वे नंबर 46/1/1 एवं 46/1/2 वाली परिवर्तित भूमि का हिस्सा, ग्राम चितावद इंदौर 452001, पूर्व की ओर : बिल्डिंग की खुली जगह, पश्चिम की ओर: बिल्डिंग की खुली जगह फिर सड़क, उत्तर की ओर: यूनिट नंबर एलजी-7, दक्षिण की ओर: यूनिट नंबर एलजी-9

दिनांक : 24-12-2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मुम्बई वास्ते एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction